UPFR010014582026

522 Sessions Case/244/2026 Thana Anti Power Theft

State Government Vs. Rajkishori

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04,फर्रुखाबाद।

उपस्थितः– दीपेन्द्र कुमार सिंह–I.....एच०जे०एस० J.O.Code–U.P.2720

सत्र वाद संख्या–244/2026

राज्य प्रति राजकिशोरी

अपराध संख्या–522/2023
धारा–135–1(a) विद्युत अधिनियम, 2003
थाना–ए.पी.टी.फतेहगढ़,
जनपद–फर्रूखाबाद।

दिनांक: 03–06–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, उक्त प्रकरण में प्रार्थिनी के विरूद्ध कोई भी विद्युत बिल का रूपया बकाया/शेष नहीं है। इस बात के प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति उपखण्ड विद्युत वितरण खण्ड प्रथम 2–राजेश कुमार त्रिपाठी एडवोकेट विभागीय पैनल पर नियुक्त अधिवक्ता 3–राजकिशोर उर्फ राजकिशोरी पत्नी मल्लू निवासी हरिहरपुर थाना–राजेपुर जनपद–फर्रुखाबाद को भेजी गई। राजकिशोरी को जो प्रतिलिपि भेजी गई उसका पत्रांक नम्बर–551 / वि०वि०ख०/ दिनांक–27.01.2026 उसकी छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शमन धनराशि–2000/– रसीद संख्या–310040330183 दिनांक–22.01.2026 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय पत्रांक–3308 / मु०अ० (वाणिज्य /सी०यू०–दो /ओ०टी०एस० (16) दिनांक 13.11.2025 के द्वारा राजस्व निर्धारण में 45 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये शेष निर्धारण धनराशि रूपया 3862/– जिसकी रसीद संख्या–310040330183 दिनांक–22.01.2026 व नोटिस फीस धनराशि 60/– रूपया को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। अतः अन्य तथ्यों के आधार पर मुकदमा निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा, उसके विरुद्ध इस मामले के संबंध में निर्धारित प्रशमन राशि की अदायगी विद्युत निगम को कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि निगम द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र दिनांकित 03.06.2026 से हो रही है, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पत्रावली में दाखिल किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003,(अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 152 की उपधारा (2) ऐसी दशा में अर्थात् (अभियुक्त द्वारा प्रशमन धनराशि डिपोजिट कर दिये जाने पर) अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का प्रशमन किये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 152 (2) इस प्रकार है कि– उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जाएगीं।

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.03 16:49:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः इस भाँति, अभियुक्ता राजकिशोरी के विरुद्ध संस्थित मामला का प्रशमन हो जाता है। अर्थात् विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही का, अभियुक्त के विरुद्ध प्रशमन हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही प्रशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्ता के प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

(**दीपेन्द्र कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–04, फर्रूखाबाद।